

पत्रांक-01/सी०एल०-10-14/2025, अ०सं०....  
बिहार सरकार  
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

राजेश भारती, मा०प्र०से०  
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एवं समस्तीपुर।

पटना, दिनांक-

**विषय:-** विमुक्त किशोर श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री राहत कोष के न्यासी पर्षद द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में किये गये संशोधन के आलोक में खतरनाक नियोजनों से विमुक्त वैसे किशोर जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परंतु उनकी आयु 18 वर्ष से कम हो और जिनका विवरण CLTS में दर्ज हो, को भी बाल श्रमिकों की तरह मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये मात्र की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उक्त राशि खतरनाक नियोजनों से विमुक्त किशोर श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेंगे। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि किशोर श्रमिक को प्राप्त हों सकेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	किशोर श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि	अभियोजन/ एफ०आई०आर०
1	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	BIH_PURBI_2025_111641	मो० सिराज	20.09.2025	503/25
2	समस्तीपुर	BIH_SAMAS_2025_111201	SHANNI KUMAR	25.04.2025	104/2025
3		BIH_SAMAS_2025_111070	SURAJ KUMAR	03.03.2025	77/2025
4		BIH_SAMAS_2025_111296	ANIL KUMAR	05.06.2025	5133016250089 /2025
5		BIH_SAMAS_2025_111297	SARWAN KUMAR	05.06.2025	5133016250089 /2025
6		BIH_SAMAS_2025_111688	SUBASH KUMAR	30.07.2025	5133022250105 /2025
7		BIH_SAMAS_2025_111703	SONU URF JISHU SAHANI	03.09.2025	356/2025
8		BIH_SAMAS_2024_109932	ANKUSH KUMAR	27.05.2024	74/2024

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त किशोर श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से @25,000/- प्रति किशोर श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	किशोर श्रमिकों की संख्या	किशोर श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रूपये में	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अधियाचना का विवरण
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	3657026 4808	SBIN000 0137	01	01@25000	25,000/-	पत्रांक-76, दिनांक-12.01.2026
समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	3631032 5668	SBIN000 0174	07	07@25000	1,75,000/-	पत्रांक-72, दिनांक-09.01.2026
<b>कुल</b>				<b>08</b>	<b>08@25000</b>	<b>2,00,000 (दो लाख)</b>	

अतः अनुरोध है कि उपलब्ध करायी जा रही राशि से सत्यापित, अधियाचित एवं CLTS Software में दर्ज पात्र किशोर श्रमिक को ही लाभ दिया जाय एवं लाभ देने के उपरांत साक्ष्य सहित प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

राशि के उपयोग के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त किशोर श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राजेश भारती)

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/सी०एल०-10-14/2025, श्र०सं०.....

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विमुक्त किशोर श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिला पदाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

ह०/-

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/सी०एल०-10-14/2025, श्र०सं०..... 763

पटना, दिनांक - 11/2/26

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

श्रमायुक्त, बिहार